

49 N.A. 20

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 30/03/2011

वर्ग 1 बैठक का दिनांक 08/04/2011 विभाग का नाम पंचायत और ग्रामीण विकास

विषय:- टीकमगढ़ जिला अन्तर्गत रोजगार गारंटी स्कीम में वित्तीय अनियमितताओं के कारण वसूली प्रकरणों के संबंध में

(तारांकित प्रश्न क्रमांक 4394) श्री यादवेन्द्र सिंह
क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टीकमगढ़ जिलान्तर्गत रोजगार गारंटी स्कीम में कराये गए कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के कारण कितने वसूली प्रकरण किन किन पंचायतों के संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के यहां लम्बित हैं ?

(ख) क्या यह भी सत्य है प्रश्नांश क में वर्णित अधिकांश प्रकरणों में लेखा/जांच अधिकारियों ने व्यय खर्च एवं मूल्यांकन में भारी अंतर के कारण वसूली प्रस्तावित की गई है ?

(ग) यदि हां तो अब तक कितने प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ? एवं कौन कौन में शेष है ?

(घ) यदि उक्त वसूली नहीं की गई है तो क्यों ? एवं कब तक की जा सकेगी ?

यथा संशोधित स्वीकृत

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, सी-विंग, नर्मदा भवन द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

ST-04/P-16

पृ क्रमांक 2996 / वि.स. / एनआर-11 / 2011

भोपाल, दिनांक 19/03/2011

1. कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.पं. टीकमगढ़ म.प्र. की ओर विधानसभा प्रश्न की प्रति सलमन कर लेख है कि उक्त प्रश्न का उत्तर दिनांक 24/03/2011 तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को 10 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

2. आयुक्त सागर सभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

3. मुख्य अनियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

4. आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(प्रद्युम्न शर्मा)

संचालक

जन.शि.एवंगुण.नि.प्रको.

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

कार्या. फोन नं: 0755-2551489 फॅक्स 2550094

ई-मेल: nrega_vs@vsnl.co.in rdemp@vsnl.co.in